राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–749/2025

दिनेश कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र फगेडिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। इस अपील में अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय जयरामपुरा, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मु. मरमपुरा, सहा. निदेशक, कृषि (वि.) चिडावा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को पदस्थापित किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी को जिस स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, उसी स्थान पर शिव कुमार को उसी आलोच्य आदेश से स्थानांतरित किया गया है। आलोच्य आदेश में शिव कुमार का नाम क्रम संख्या 1076 पर अंकित है, जिसे मु. महरमपुर, सहा.निदे. कृषि (वि.), चिड़ावा स्थानांतरित किया जाना दर्शित किया गया है और अपीलार्थी

को भी उसी स्थान पर अनिता कुमारी के स्थान पर स्थानांतरित किया जाना दर्शित किया गया है। इस प्रकार एक ही पद पर दो व्यक्तियों को एक ही आलोच्य आदेश से स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि शिव कुमार ने उक्त स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 03.02.2025 को संशोधित आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को रिक्त पद नहीं होने के कारण तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर अपीलार्थी का मुख्यालय कृषि आयुक्तालय, जयपुर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने के पश्चात अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। अपीलार्थी को एपीओ किये जाने का आदेश स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में जारी किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को जिस स्थान से स्थानांतरित किया गया है, वहां अन्य व्यक्ति प्रत्यर्थी संख्या–4 का पदस्थापन किया जा चुका है, जहां पर उन्होंने कार्यग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी को जिस स्थान पर पदस्थापित किया गया है, वहां पर भी अन्य व्यक्ति शिव कुमार ने कार्यग्रहण कर लिया है। इस प्रकार दोनों ही स्थानों पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है। वर्तमान में अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश पारित किये जाने में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि जिस स्थान पर अपीलार्थी को स्थानांतरित किया गया है, उसी स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया गया है। हम पाते हैं कि वर्तमान में दोनों ही स्थानों पर दो अन्य व्यक्ति कार्यरत होने से अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। ऐसी स्थिति में इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में नये सिरे से पदस्थापन आदेश इस आदेश के पारित होने के 2 सप्ताह की अवधि में जारी किये गये जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि अपीलार्थी के पदस्थापन पर स्थानांतरण पर प्रतिबंध को लागू नहीं किया जाये, क्योंकि अपीलार्थी का पूर्व में स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा हो चुका था।

4. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)